

**कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू (राज.)**

क्रमांक:- 990


दिनांक:-01.09.2021

**कार्यालय आदेश**

पूर्व में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 698 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा झुन्झुनू न्यायक्षेत्र में धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता एवं मृत्यु पूर्व बयान (डाईंग डिक्लेरेशन) लेने के कार्य हेतु न्यायालयों को अधिकृत किया गया था। तदुपरांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर अपनी आज्ञा क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश/ 1627/2021 दिनांक 20.07.2021 के द्वारा श्रीमती नीतू रानी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट चिड़ावा का दिनांक 02.08.2021 से दिनांक 28.01.2022 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाकर श्री प्रतीक दाधीच, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी को उक्त अवधि के दौरान अपने पद के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट चिड़ावा के पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किये जाने से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 698 दिनांक 16.07.2021 में निम्न प्रकार सशर्त आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	
		164 दंड प्रक्रिया संहिता एवं मृत्यु पूर्व बयान (डाईंग डिक्लेरेशन) हेतु अधिकृत न्यायालय
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी

नोट:-श्रीमती नीतू रानी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा के अवकाश से लौटने पर हस्तगत आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावेगा एवं इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 698 दिनांक 16.07.2021 की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

  
(इन्दिरा बनेरा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक:- 1015

दिनांक:-01.09.2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनू
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू (समस्त पुलिस उपाधीक्षकों एवं थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत)
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/नवलगढ़
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/बुहाना/चिड़ावा
5. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नवलगढ़
6. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू
7. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, झुन्झुनू/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/नवलगढ़/बुहाना/चिड़ावा
8. सहायक निदेशक अभियोजन, झुन्झुनू।
9. कोर्ट मैनेजर, उपरोक्त सभी को E-mail करने हेतु।
10. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

  
(इन्दिरा बनेरा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
झुन्झुनू (राज.)